BLOCK: 1, 2 & 3
TYPICAL FLOOR PLAN
(1ST TO 16TH FLOOR)

BLOCK: 1 & 2
STILT FLOOR PLAN

BLOCK: 3
STILT FLOOR PLAN

BLOCK: 1, 2 & 3
TYERRACE FLOOR PLAN

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH
N

PROJECT

PROPOSED
GROUP HOUSING-3 AT
SECTOR-G, POCKET-5
SUSHANT GOLF CITY,
HI-TECHTOWNSHIP,
LUCKNOW.

NOTES:-
1. ALL FIRE CHECK DOORS ARE OF 2H RATING.
2. BASEMENT IS MECHANICALY VENTILATED.
3. ALL FIRE HYDRANTS AND EQUIPMENTS ARE AS PER NORMS.
4. ALL FIRE EXTINGUISHERS ARE "IS-2190:2010".

प्रतिबन्ध

1	यू-स्वामित्व तथा भूमि बाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता सम्पत्ति के पास है। भूखण्ड के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय का स्थगित उस स्तर की भूमि से अलग भी भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता एवं उसके कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा उस स्तर तक उस भाग का ड्राईवर/ऑडीटर/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
2	वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्कैपिंग प्लान के अनुसार ड्राइवेयर ऑनसेट होगा।
3	शासनादेश के अनुसार स्थल पर सूचना बिजली निर्माण किया जाना अनिवार्य करना होगा।
4	लैण्ड स्कैपिंग प्लान व सर्विस प्लान के अनुसार स्थल पर पौधा रोपण कार्य पूर्ण करने होंगे।
5	पूरक ऊर्जा साधन ऑफसेट व लिफ्टों का पालन करना होगा।
6	पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7	रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8	अग्निशमन एक्ट-2010, लेवर एक्ट, नेशनल बिल्डिंग कोड, रेरा का अनुपालन के साथ निर्माण कार्य का 1 प्रतिशत लेबर सेस जमा करना सुनिश्चित करना होगा।
9	स्थल पर सार्वजनिक रूप से विकास व्यावसायिक ब्लू प्रिन्ट का निर्माण एवं बायलॉज सुनिश्चित का विकास करना होगा।
10	स्थल पर वर्तमान स्वीकृत नक्शानी सूचनापट्ट लगाना होगा।
11	यदि कोई न्यायालय निकायों में दो प्राधिकरण द्वारा योजे जाने पर प्राधिकरण जवाब करना होगा।
12	यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर अनापत्ति की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य माना।
13	विकासकर्ता के अवैध रूप दिनांक 16.10.2017 के परिपत्रित मानचित्र विकास प्लान विकास की अनुमोदित योजनाओं के चतुर्थ तल तक निर्माण पूर्ण होने से पूर्व मानचित्र विकास प्लान की अनापत्ति प्राधिकरण पोर्टल पर प्राप्त करना होगा।

भवन मानचित्र उपधारा (2) धारा 15 के अन्तर्गत इस मानचित्र स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विवाद न्यायालय के लिए विकास कार्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
पंजीकृत
मानचित्र संख्या 23583
दिनांक 26-09-2017
स्वीकृत की दिनांक 25-09-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

Submission Drg.
(Block-1 to 3)

DRAWING TITLE

FLOOR PLANS

DEALT BY	CHECKED BY
SCALE	DATE
1:100	MAY.-2017

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

ARCHITECT	CLIENT/ OWNERS
TEAM ARCHITECTURE ANSAL API Building lifestyles since 1962	ANSAL API Building lifestyles since 1962 ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD. 115, ANSAL BHWAN, 16, K.G. MARG, NEW DELHI - 110001.
Architect Sandeep Seth B. Arch. CA/94/17834	
ARCHITECT'S SIGNATURE	OWNER'S SIGNATURE

DRG. NO.- API/HI-TECH/GH-03/MISTY/SLB/PLAN-02/05.